

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2020 — आश्विन 28, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2020/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

शीर्षक “छत्तीस-समाज कल्याण विभाग” के अंतर्गत भाग (अ) के सरल क्रमांक 15 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“16. सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्तियों का संरक्षण.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 1-1/2020/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2020/एक (1), दिनांक 20-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 20th October 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2020/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After serial number 15 of Part (A) under heading "XXVI-Social Welfare Departement", the following shall be added, namely :-

"16. Protection of socially excluded and mentally tortured people."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.